आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3

6-02-16

3-03-16

न्यायालय समाहर्त्ता एवं जिला दण्डाधिकारी, लखीसराय
(जिला विधि शाखा)

समपहरण वाद संख्या–02/1998–99
राज्य बनाम राम संजीवन शर्मा एवं अन्य

आदेश

उक्त समपहरण वाद लखीसराय थाना कांड सं0–338/98 दिनांक–16.09.1998 के आलोक में संधारित किया गया है। जिसके अंतर्गत 130 बोरा गेंहूँ जप्त हुआ है। जप्त खाद्यान्न राम संजीवन शर्मा, जन वितरण प्रणाली विक्रेता, सा0–रामचन्द्रपुर, थाना–पिपरिया एवं श्याम किशोर राम, जन वितरण प्रणाली विक्रेता, ग्राम–वलीपुर, थाना–पिपरिया, जिला–लखीसराय का बताया गया है, जिसे कालाबाजारी के उद्वेश्य से विनोद साव, ग्राम–इंगलिश, लखीसराय के मकान में कालाबाजारी के उद्वेश्य से अवैध रूप से रखा गया था, परन्तु गुप्त सूचना के आधार पर आरक्षी निरीक्षक, लखीसराय थाना द्वारा जप्त कर लिया गया। तत्पश्चात इस न्यायालय के आदेश ज्ञापांक–404/विधि, दिनांक–29.10.1998 द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी, लखीसराय को जप्त खाद्यान्न को नीलाम कर प्राप्त राशि उचित शीर्ष में जमा करने का आदेश दिया गया।

तद्नुसार जिला आपूर्ति पदाधिकारी, लखीसराय के पत्रांक–306/आ0, दिनांक–19.11.1998 द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि जप्त 130 बोरा गेंहूँ को नीलाम कर प्राप्त राशि मो0 45,700=00(पैंतालीस हजार सात सौ) रू0 मात्र जिला नजारत में जमा कर दिया गया है।

विपक्षी सीताराम साव को इस न्यायालय ज्ञापांक–405/विधि, दिनांक–29.10.98 एवं ज्ञापांक–406/विधि, दिनांक–29.10.98 द्वारा नोटिस भेजा गया। वाद के अवलोकन से स्पष्ट है कि विपक्षी दिनांक–06.09.2006 से अनुपस्थित है।

उपरोक्त तथ्यों के आलोक से स्पष्ट है कि विपक्षी को वाद की कार्यवाही में कोई अभिरूचि नहीं है। अतः उपरोक्त जप्त खाद्यान्न की राशि को समपहृत करते हुए वाद की कार्यवाही निष्पादित की जाती है। आदेश की प्रति अनुमंडल पदाधिकारी, लखीसराय को भेजें तथा इस आदेश की प्रति लखीसराय जिला के बेवसाईट पर भी प्रकाशनार्थ भेजे।

लेखापित/संशोधित

3/3/16
जिला दण्डाधिकारी,
लखीसराय।

3/3/16
जिला दण्डाधिकारी,
लखीसराय।

ज्ञापांक- 155 विधि, दिनांक- 03-03-16

प्रतिलिपि :- अनुमंडल पदाधिकारी, लखीसराय/जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, सूचना विज्ञान केन्द्र, लखीसराय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

3/3/16
जिला दण्डाधिकारी,
लखीसराय।